सी.एस.आई.आर.–राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान
CSIR-National Botanical Research Institute
राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226001 (उ.प्र.)
Rana Pratap Marg, Lucknow

अनुकम्पा नियुक्ति समिति की कार्यवाही
(Proceedings of Compassionate Appointment Committee)

निदेशक, सीएसआईआर–राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा विधिवत् गठित अनुकम्पा नियुक्ति समिति की बैठक दिनांक 31.05.2024 को अपराह्न 03:00 बजे इस संस्थान के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:–

1.	डॉ. पी. ए. शिर्के, मुख्य वैज्ञानिक	सभापति
2.	प्रशासन नियंत्रक, सीएसआईआर–एनबीआरआई	सदस्य
3.	नियंत्रक (वित्त एंव लेखा) सीएसआईआर–एनबीआरआई	सदस्य
4.	डॉ. पी. सी. वर्मा, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट	सदस्य
5.	डॉ. (श्रीमती) मेहर हसन आसिफ, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट	सदस्य
6.	डॉ. मनोज कुमार, सीनियर साइंटिस्ट	सदस्य

अनुकम्पा नियुक्ति समिति ने अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी डी.ओ.पी.टी के कार्यालय ज्ञापन दिनांक क्रमशः 11 दिसम्बर, 2009 एवं 3 अप्रैल, 2012 एवं सी.एस.आई.आर. सं0 5–1(41)08-PD दिनांक 05.11.2014, सं0 5–1(41)08-PD दिनांक 14.11.2022 द्वारा अग्रसारित भारत सरकार के अनुकम्पा नियुक्ति सम्बंधी डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/02/2012-Estt(D) दिनांक 16.01.2013 एवं दिनांक 07.10.2014 तथा इस संबंध में बाद में जारी डोओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 43019/9/2019–स्था. (घ) दिनांक 23.08.2021 एवं संख्या 14014/1/2022-Estt(D) दिनांक 20.08.2022, किए गए नियमों/दिशानिर्देशों का अवलोकन किया।

समिति ने डी.ओ.पी.टी. कार्यालय ज्ञापन सं0 14014/06/94-Estt(D) दिनांक 09.10.1998, 14014/02/2012-Estt(D) दिनांक 16.01.2013 तथा का0 ज्ञा0 संख्या 43019/9/2019–स्था. (घ) दिनांक 23.08.2021 एवं संख्या 14014/1/2022-Estt(D) दिनांक 20.08.2022, द्वारा अनुकम्पा नियुंक्ति सम्बन्धी प्रावधान में निर्दिष्ट अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की योजना के उद्देश्य का अवलोकन किया, जिसके अनुसार इस योजना का उद्देश्य किसी सरकारी कर्मचारी की कार्य करते हुए मृत्यु हो जाने अथवा डॉक्टरी आधार पर उसे सेवानिवृत्त कर दिए जाने की वजह से उसके परिवार के निर्धन हो जाने और आजीविका का कोई और साधन न होने की स्थिति में उक्त परिवार को वित्तीय अभावग्रस्तता से छुटकारा दिलाने और संकट से उबारने के लिए परिवार के किसी आश्रित सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देना है। समिति का ध्यान इस योजना के अन्तर्गत नियुक्ति पाने की पात्रता की ओर भी आकृष्ट किया गया, जिसके अनुसार:–

1– परिवार निर्धन हो तथा आर्थिक कठिनाई से राहत पाने हेतु तुरन्त सहायता मुहैया करवाए जाने योग्य हो, और

2— अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने वाला अभ्यर्थी संगत भर्ती नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत हर लिहाज से पद के लिए पात्र एवं उपयुक्त होना चाहिए।

समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति ग्रुप 'सी' (पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' सहित) के सीधी भर्ती कोटा के रिक्त पदों के 5 प्रतिशत तक ही सीमित है। सम्बन्धित प्रावधानानुसार संस्थान में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विविध कार्य कर्मचारी (पे मैट्रिक लेवल 1 वेतनमान रू.18000—56900) के 03 रिक्त पद उपलब्ध है, समिति के समक्ष अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्राप्त 10 (05 पुराने और 05 नये) आवेदन को प्रस्तुत किया गया। रिक्त पदों के संदर्भ में समिति के संज्ञान में लाया गया कि 05 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अनुसार कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप संस्थान में वर्ष 2017 में विविध कार्य कर्मचारी के 01 रिक्त पद के विरूद्ध अनुकम्पा नियुक्ति किया जा चुका है, जिसे वृर्ष 2018 के अनुकम्पा रजिस्टर क्रम संख्या 07 तक समायोजित कया गया है। इस क्रम में मार्च, 2018 से जनवरी, 2024 तक कुल 60 पद रिक्त हुए हैं, जिनका 05 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अनुसार 03 रिक्त पदों को अनुकम्पा नियुक्ति पर भर्ती की जा सकती है। समिति ने समस्त आवेदनों का गहनतापूर्वक अवलोकन/विचार कर निम्नलिखित संस्तुति प्रदान की :—

समिति ने पाया कि समस्त आवेदनों के साथ आय प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है तथा ग्रेच्युटी/फैमिली पेंशन आदि से सम्बन्धित डाटा लेखा अनुभाग द्वारा विधिवत सत्यापित नहीं कराया गया है। समिति ने संस्तुति प्रदान की कि आवेदकों को आय प्रमाण पत्र जमा करने हेतु 10 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया जाये तथा सम्बन्धित डाटा का विधिवत सत्यापन कराकर अगली बैठक आहूत की जाये।

सभापति महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

मनोज | मेहर हसन आसिफ 31/05/2024 | [signature] | उपेन्द्र कुमार

(डॉ. मनोज कुमार) (डॉ. मेहर हसन आसिफ) (डॉ. पी.सी. वर्मा) (उपेन्द्र कुमार)

[signature] | प्रमोद शिर्के 31/05/2024

(प्रदीप कुमार) (डॉ. पी.ए. शिर्के)

निदेशक
अनुमत
4/6/24

सी.एस.आई.आर.–राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान
CSIR-National Botanical Research Institute
राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226001 (उ.प्र.)
Rana Pratap Marg, Lucknow

अनुकम्पा नियुक्ति समिति की कार्यवाही
(Proceedings of Compassionate Appointment Committee)

निदेशक, सीएसआईआर–राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा विधिवत् गठित अनुकम्पा नियुक्ति समिति की बैठक दिनांक 31.05.2024, 25.06.2024 एवं दिनांक 30.07.2024 को अपराह्न 03:00 एवं 03:30 बजे संस्थान के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:–

1.	डॉ. पी. ए. शिर्के, चीफ साइंटिस्ट	सभापति
2.	प्रशासन नियंत्रक, सीएसआईआर–एनबीआरआई	सदस्य
3.	नियंत्रक (वित्त एंव लेखा) सीएसआईआर–एनबीआरआई	सदस्य
4.	डॉ. पी. सी. वर्मा, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट	सदस्य
5.	डॉ. (श्रीमती) मेहर हसन आसिफ, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट	सदस्य
6.	डॉ. मनोज कुमार, सीनियर साइंटिस्ट	सदस्य

अनुकम्पा नियुक्ति समिति ने सी.एस.आई.आर. पत्र संख्या 5–1(41)08-PD दिनांक 05.11.2014 द्वारा अग्रेषित अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी डी.ओ.पी.टी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/02/2012-Estt(D) दिनांक 16.01.2013 एवं दिनांक 07.10.2014 तथा इस संबंध में बाद में सी.एस.आई.आर. पत्र सं0 5–1(41)08-PD दिनांक 14.11.2022 द्वारा अग्रेषित डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 43019/9/2019–स्था. (घ) दिनांक 23.08.2021 एवं संख्या 14014/1/2022-Estt(D) दिनांक 02.08.2022, द्वारा जारी किए गए नियमों/दिशानिर्देशों का अवलोकन किया।

समिति ने सी.एस.आई.आर. सं0 17(108)78-E.II दिनांक 18.11.1998 द्वारा अग्रेषित डी.ओ.पी.टी. कार्यालय ज्ञापन सं0 14014/06/94-Estt(D) दिनांक 09.10.1998, तथा का0 ज्ञा0 संख्या 43019/9/2019–स्था. (घ) दिनांक 23.08.2021 एवं संख्या 14014/1/2022-Estt(D) दिनांक 02.08.2022, द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधान में निर्दिष्ट अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की योजना के उद्देश्य का अवलोकन किया, जिसके अनुसार इस योजना का उद्देश्य किसी सरकारी कर्मचारी की कार्य करते हुए मृत्यु हो जाने अथवा डॉक्टरी आधार पर उसे सेवानिवृत्त कर दिए जाने की वजह से उसके परिवार के निर्धन हो जाने और आजीविका का कोई और साधन न होने की स्थिति में उक्त परिवार को वित्तीय अभावग्रस्तता से छुटकारा दिलाने और संकट से उबारने के लिए परिवार के किसी आश्रित सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देना है। समिति का ध्यान इस योजना के अन्तर्गत नियुक्ति पाने की पात्रता की ओर भी आकृष्ट किया गया, जिसके अनुसार:–

1– परिवार निर्धन हो तथा आर्थिक कठिनाई से राहत पाने हेतु तुरन्त सहायता मुहैया करवाए जाने योग्य हो, और

2– अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने वाला अभ्यर्थी संगत भर्ती नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत हर लिहाज से पद के लिए पात्र एवं उपयुक्त होना चाहिए।

समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति ग्रुप 'सी' (पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' सहित) के सीधी भर्ती कोटा के रिक्त पदों के 5 प्रतिशत तक ही सीमित है। संबंधित प्रावधानानुसार संस्थान में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विविध कार्य कर्मचारी (पे मैट्रिक लेवल 1 वेतनमान रू.18000–56900) के 03 रिक्त पद उपलब्ध है, समिति के समक्ष अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्राप्त मात्र 09 आवेदन को प्रस्तुत किया गया।

अनुकम्पा नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदन पत्र

1. स्व. विनोद कुमार, भूतपूर्व हेल्पर ग्रुप–। (आवेदन पंजीयन सं. CA-04) मृत्यु तिथि – 19.03.1995
2. स्व. मनोहर लाल, भूतपूर्व मेसन (आवेदन पंजीयन सं. CA-05) मृत्यु तिथि – 11.12.1993
3. स्व. सुन्दर लाल, भूतपूर्व हेल्पर ग्रुप–। (आवेदन पंजीयन सं. CA-08) मृत्यु तिथि – 04.01.2014
4. स्व. भुईयादीन, भूतपूर्व सहायक ग्रेड–। (आवेदन पंजीयन सं. CA-09) मृत्यु तिथि – 23.05.2005
5. स्व. वन्ती लाल, भूतपूर्व सीनियर तकनीशियन (आवेदन पंजीयन सं. CA-06) मृत्यु तिथि – 15.08.2016
6. स्व. मनोहर लाल, भूतपूर्व प्रयोगशाला सहायक (आवेदन पंजीयन सं. CA-01) मृत्यु तिथि – 27.10.2021
7. स्व. संजय पाल, भूतपूर्व कनि. सचि. सहायक (आवेदन पंजीयन सं. CA-02) (सा.) मृत्यु तिथि– 28.08.2022
8. स्व. अनिल कुमार, भूतपूर्व वरि. तक. अधिकारी (आवेदन पंजीयन सं. CA-03) मृत्यु तिथि – 29.09.2022
9. स्व. संत राम, भूतपूर्व प्रयोगशाला सहायक (आवेदन पंजीयन सं. CA-07) मृत्यु तिथि – 19.01.2024

देवेन्द्र कुमार

समस्त आवेदनों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1 – <u>स्व. विनोद कुमार, भूतपूर्व प्रयोगशाला सहायक (ओ.बी.सी) (आवेदन पंजीयन सं. CA-04) :-</u>

(a) स्व0 विनोद कुमार दिनांक 10.04.1992 को हेल्पर के पद पर नियुक्त हुए थे, स्व0 विनोद कुमार का आकस्मिक निधन दिनांक 19.03.1995 को लगभग 02 वर्ष 11 माह की सेवा के उपरान्त हुआ। आवेदन पत्र दिनांक 07.09.1995 के माध्यम से मृतक कर्मचारी की पत्नी श्रीमती सुषमा देवी ने अपने देवर श्री प्रमोद कुमार को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन किया था, मामला अनुकम्पा समिति के समक्ष रखा गया था, तत्समय अनुकम्पा समिति की बैठक दिनांक 25.05.2000 एवं 17.11.2000 में श्रीमती सुषमा देवी के आवेदन पर विचार करते हुए समिति ने उनका मामला fit नहीं पाया।

(b) अनुकम्पा समिति ने सीएसआईआर सं0 5–1(41)08-PD दिनांक 14.11.2022 द्वारा अग्रसारित भारत सरकार के अनुकम्पा नियुक्ति सम्बंधी डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 43019/9/2019-Estt(D) दिनांक 23.08.2021 जारी नियमों/दिशानिर्देशों के परिपेक्ष में बिन्दु सं0 19 के (b) (iii), (vi) & 19 (f) के अनुसार विचार किया:–

"19 (b)(iii) *The whole object of granting compassionate appointment is to enable, the family to tide over the sudden crisis and to relieve the family of the deceased from financial destitution and to help it get over the emergency.*

(vi) *Compassionate appointment annot be granted after lapse of a reasonable period and it is not a vested right which can be exercised at any time in future.*

(f) *The Hon'ble Supreme Court in its judgment dated 05.04.2011 in Civil Appeal No. 2206 of 2006 filed by Local administration Department vs. M. Selvanayagam @ Kuinaravelu has observed that "an appointment made many years after the death of the employee or without due consideration of the financial resources available to his/her dependents and the financial deprivation caused to the dependents as a result of his death, simply because the claimant happened to be one of the dependents of the deeased employee would be directly in conflict with Aritcles 14 & 16 of the Constitution and hence, quite bad and illegal. In dealing with cases of compassionate appointment, it is imperative to keep this vital aspect in mind/"*

अतः समिति ने उपरोक्त बिन्दु (a) और (b) को देखते हुए श्रीमती सुषमा देवी के वर्तमान आवेदन पत्र दिनांक 27.09.2023 पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया है कि इनके मामले को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 100 प्वाइंट आधारित मेरिट सिस्टम में न रख कर निरस्त (Cancel) करने की संस्तुति प्रदान की।

2 – <u>स्व. मनोहर लाल, भूतपूर्व मेसन (अ.पि.व.) (आवेदन पंजीयन सं. CA-05) :-</u>

(a) स्व0 मनोहर लाल दिनांक 21.09.1972 को मेसन के पद पर नियुक्त हुए थे, स्व0 मनोहर लाल का आकस्मिक निधन दिनांक **11.12.1993** को लगभग 20 वर्ष की सेवा के उपरान्त हुआ। आवेदन पत्र के माध्यम से मृतक कर्मचारी की पत्नी स्व. लल्ली देवी ने तत्पश्चात् बड़े पुत्र श्री चन्द्र की मृत्यु के उपरांत दूसरे पुत्र श्री हरीश चन्द्र को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया। स्व. लल्ली देवी से प्राप्त आवेदन को अनुकम्पा समिति की बैठक दिनांक 25.05.2000 में अनुकम्पा नियुक्ति समिति के समक्ष विचार हेतु रखा गया था परन्तु रिक्तियों की अनुपलब्धता तथा fit case नहीं होने के कारण इसे अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु संस्तुति नहीं प्रदान की थी।

(b) अनुकम्पा समिति ने सीएसआईआर सं0 5–1(41)08-PD दिनांक 14.11.2022 द्वारा अग्रसारित भारत सरकार के अनुकम्पा नियुक्ति सम्बंधी डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 43019/9/2019-Estt(D) दिनांक 23.08.2021 द्वारा जारी नियमों/दिशानिर्देशों के परिपेक्ष में बिन्दु सं0 19 के (b) (iii), (vi) & 19 (f) के अनुसार विचार किया:–

"19 (b)(iii) *The whole object of granting compassionate appointment is to enable, the family to tide over the sudden crisis and to relieve the family of the deceased from financial destitution and to help it get over the emergency.*

(vi) *Compassionate appointment annot be granted after lapse of a reasonable period and it is not a vested right which can be exercised at any time in future.*

(f) *The Hon'ble Supreme Court in its judgment dated 05.04.2011 in Civil Appeal No. 2206 of 2006 filed by Local administration Department vs. M.*

जैनेन्द्र कुमार

Selvanayagam @ Kuinaravelu has observed that "an appointment made many years after the death of the employee or without due consideration of the financial resources available to his/her dependents and the financial deprivation caused to the dependents as a result of his death, simply because the claimant happened to be one of the dependents of the deceased employee would be directly in conflict with Aritcles 14 & 16 of the Constitution and hence, quite bad and illegal. In dealing with cases of compassionate appointment, it is imperative to keep this vital aspect in mind/"

अतः समिति ने उपरोक्त बिन्दु (a) और (b) को देखते हुए श्री शिव चन्द्र के वर्तमान आवेदन पत्र दिनांक 18.04.2024 पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया है कि इनके मामले को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 100 प्वाइंट आधारित मेरिट सिस्टम में न रख कर निरस्त (Cancel) करने की संस्तुति प्रदान की।

3 – <u>स्व. सुन्दर लाल, भूतपूर्व प्रयोगशाला सहायक (एस.सी) (आवेदन पंजीयन सं. CA-08) :-</u>

(a) स्व0 सुन्दर लाल दिनांक 08.09.1997 को हेल्पर के पद पर नियुक्त हुए थे, स्व0 सुन्दर लाल का आकस्मिक निधन दिनांक 04.01.2014 को लगभग 16 वर्ष की सेवा के उपरान्त हुआ। आवेदन पत्र दिनांक 07.02.2014 के माध्यम से मृतक कर्मचारी की पत्नी श्रीमती फूलमती ने रेखा गैतम को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया। प्राप्त आवेदन को अनुकम्पा समिति की बैठक दिनांक 17.04.2015 में समिति ने श्रीमती फूलमती के आवेदन पर विचार हेतु अनुकम्पा समिति की बैठक दिनांक 17.04.2015 को विचार कर समिति ने अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु वित्तीय तथा रिक्तियों अनुपलब्धता के आधार पर मामला संस्तुत मामलों से कम दयनीय पाया और संस्तुत नहीं किया।

(b) अनुकम्पा समिति ने सीएसआईआर सं0 5–1(41)08-PD दिनांक 14.11.2022 द्वारा अग्रसारित भारत सरकार के अनुकम्पा नियुक्ति सम्बंधी डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 43019/9/2019-Estt(D) दिनांक 23.08.2021 जारी नियमों/दिशानिर्देशों के परिपेक्ष में बिन्दु सं0 19 के (b) (iii), (vi) & 19 (f) के अनुसार विचार किया।

"19 (b)(iii) *The whole object of granting compassionate appointment is to enable, the family to tide over the sudden crisis and to relieve the family of the deceased from financial destitution and to help it get over the emergency.*

(vi) *Compassionate appointment annot be granted after lapse of a reasonable period and it is not a vested right which can be exercised at any time in future.*

(f) *The Hon'ble Supreme Court in its judgment dated 05.04.2011 in Civil Appeal No. 2206 of 2006 filed by Local administration Department vs. M. Selvanayagam @ Kuinaravelu has observed that "an appointment made many years after the death of the employee or without due consideration of the financial resources available to his/her dependents and the financial deprivation caused to the dependents as a result of his death, simply because the claimant happened to be one of the dependents of the deceased employee would be directly in conflict with Aritcles 14 & 16 of the Constitution and hence, quite bad and illegal. In dealing with cases of compassionate appointment, it is imperative to keep this vital aspect in mind/"*

अतः समिति ने उपरोक्त बिन्दु (a) और (b) को देखते हुए श्रीमती फूलमती के वर्तमान आवेदन पत्र दिनांक 22.04.2024 पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया है कि इनके मामले को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 100 प्वाइंट आधारित मेरिट सिस्टम में न रख कर निरस्त (Cancel) करने की संस्तुति प्रदान की।

4 – <u>स्व. भुइंयादीन, भूतपूर्व सहायक ग्रेड–III (एस.सी) (आवेदन पंजीयन सं. CA-09) :-</u>

(a) स्व0 भुइंयादीन दिनांक 10.09.1986 को सहायक के पद पर नियुक्त हुए थे, स्व0 भुइंयादीन का आकस्मिक निधन दिनांक 23.05.2005 को लगभग 18 वर्ष की सेवा के उपरान्त हुआ। आवेदन पत्र दिनांक 08.06.2005 के माध्यम से मृतक कर्मचारी की पत्नी श्रीमती प्रेमवती ने स्वंय के लिए अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया। प्राप्त आवेदन को अनुकम्पा समिति की बैठक दिनांक 20.08.2007 में समिति ने श्रीमती प्रेमवती के आवेदन पर विचार हेतु

अनुकम्पा समिति की बैठक दिनांक 20.08.2007 को विचार कर समिति ने अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुति प्रदान नहीं किया।

(b) अनुकम्पा समिति ने सीएसआईआर सं0 5–1(41)08-PD दिनांक 14.11.2022 द्वारा अग्रसारित भारत सरकार के अनुकम्पा नियुक्ति सम्बंधी डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 43019/9/2019-Estt(D) दिनांक 23.08.2021 जारी नियमों/दिशानिर्देशों के परिपेक्ष में बिन्दु सं0 19 के (b) (iii), (vi) & 19 (f) के अनुसार विचार किया:–

"19 (b)(iii) *The whole object of granting compassionate appointment is to enable, the family to tide over the sudden crisis and to relieve the family of the deceased from financial destitution and to help it get over the emergency.*

(vi) *Compassionate appointment annot be granted after lapse of a reasonable period and it is not a vested right which can be exercised at any time in future.*

(f) *The Hon'ble Supreme Court in its judgment dated 05.04.2011 in Civil Appeal No. 2206 of 2006 filed by Local administration Department vs. M. Selvanayagam @ Kuinaravelu has observed that "an appointment made many years after the death of the employee or without due consideration of the financial resources available to his/her dependents and the financial deprivation caused to the dependents as a result of his death, simply because the claimant happened to be one of the dependents of the deceased employee would be directly in conflict*

with Aritcles 14 & 16 of the Constitution and hence, quite bad and illegal. In dealing with cases of compassionate appointment, it is imperative to keep this vital aspect in mind/"

अतः समिति ने उपरोक्त बिन्दु (a) और (b) को देखते हुए श्रीमती प्रेमवती के वर्तमान आवेदन पत्र दिनांक 16.05.2024 एवं 29.05.2024 पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया है कि इनके मामले को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 100 प्वाइंट आधारित मेरिट सिस्टम में न रख कर निरस्त (Cancel) करने की संस्तुति प्रदान की।

5 – <u>स्व0 मनोहर लाल (भूतपूर्व प्रयोगशाला सहायक) (ओ.बी.सी) (आवेदन पंजीयन सं. CA-01) :-</u>

स्व0 मनोहर लाल दिनांक 12.06.1998 को हेल्पर के पद पर नियुक्त हुए थे, स्व0 मनोहर लाल का आकस्मिक निधन दिनांक **27.10.2021** को लगभग **23** वर्ष की सेवा के उपरान्त हुआ। मृतक के परिवार में आश्रितों में पत्नी श्रीमती सुमन एवं दो पुत्र श्री अनुराग गौड़ एवं आयुष गौड़ है। दिवंगत की पत्नी के आवेदन पत्र 25.07.2022 एवं 19.03.2024 एवं श्री अनुराग गौड़ के undertaking दिनांक 15.07.2024 अनुसार उनके दोनों पुत्र अविवाहित है। वह स्वंय अक्सर बीमार रहती है, इसलिये वह नौकरी हेतु सक्षम नही है। एवं पति की मृत्यु के बाद आय को कोइ साधन नहीं है। परन्तु आवेदन के साथ शपथ पत्र के अनुसार अचल सम्पत्ति के रूप में 1000 वर्गफिट का मकान है। अतः उन्होंने अपने बड़े पुत्र श्री अनुराग गौड़ जोकि कक्षा 8 पास है, को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है। इनके मामले को 100 प्वाइंट आधारित मेरिट सिस्टम के तहत स्केल में रखकर मेरिट के अनुसार विचार किया जा रहा है।

6 – <u>स्व0 संजय पाल (भूतपूर्व कनिष्ठ सचिवालय सहायक) (ओ.बी.सी) (आवेदन पंजीयन सं. CA-02) :-</u>

स्व0 संजय पाल दिनांक 28.10.1996 को चपरासी के पद पर अनुकम्पा आधार पर नियुक्त हुए थे, स्व0 संजय पाल का आकस्मिक निधन दिनांक **28.08.2022** को लगभग 25 वर्ष की सेवा के उपरान्त हुआ। मृतक के परिवार में आश्रितों में पत्नी श्रीमती निर्मला पाल एवं दो पुत्र श्री आशुतोष पाल एवं अस्तित्व पाल है। दिवंगत की पत्नी के आवेदन पत्र 24.11.2022, 19.03.2024 एवं undertaking दिनांक15.07.2024 के अनुसार उनके दोनों पुत्र अविवाहित है, और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे है। पति की मृत्यु के बाद आय को कोई साधन नहीं है। परन्तु आवेदन के साथ शपथ पत्र के अनुसार अचल सम्पत्ति के रूप में 1000 वर्गफिट का मकान है। अतः उन्होंने स्वयं के लिए जोकि पोस्ट ग्रेजुऐट है, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है। इनके मामले को 100 प्वाइंट आधारित मेरिट सिस्टम के तहत स्केल में रखकर मेरिट के अनुसार विचार किया जा रहा है।

7 – <u>स्व0 अनिल कुमार (भूतपूर्व वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी) (सामान्य) (आवेदन पंजीयन सं. CA-03) :-</u>

स्व0 अनिल कुमार दिनांक 31.10.2008 को जे.टी.ए के पद पर नियुक्त हुए थे, स्व0 अनिल कुमार का आकस्मिक निधन दिनांक **29.09.2022** को लगभग 18 वर्ष की सेवा के उपरान्त हुआ। मृतक के परिवार में आश्रितों में पत्नी श्रीमती आभा शर्मा एवं दो पुत्र श्री अश्मित कुमार एवं मास्टर अर्थव कुमार है। दिवंगत की पत्नी के आवेदन पत्र 18.01.2023, 18.03.2024 एवं undertaking दिनांक 15.07.2024 के अनुसार उनके एक पुत्र बालिग है और एक नाबालिग है दोनों पुत्र अविवाहित है, और शिक्षा प्राप्त कर रहे है। पति की मृत्यु के बाद आय को कोई साधन नहीं है। परन्तु आवेदन के साथ शपथ पत्र के अनुसार अचल सम्पत्ति के रूप में 30 sq मीटर (322square feet) का संयुक्त फ्लैट है। अतः उन्होंने स्वयं के लिए जोकि पोस्ट ग्रेजुऐट है, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है। इनके मामले को 100 प्वाइंट आधारित मेरिट सिस्टम के तहत स्केल में रखकर मेरिट के अनुसार विचार किया जा रहा है।

उपेन्द्र कुमार

8 स्व0 श्री वन्ती लाल (पूर्व सीनियर तकनीशियन) (अनु. जाति) (आवेदन पंजीयन सं. CA-06) :-

स्व0 वन्तीलाल दिनांक 14.01.1986 को टेक्नीशियन के पद पर नियुक्त हुए थे स्व0 वन्ती लाल का निधन दिनांक 15.08.2016 को इस संस्थान में लगभग 30 वर्ष की सेवा के उपरान्त हुआ था। मृतक की पत्नी श्रीमती सरोज ने अपने पुत्र श्री विजय गौतम के लिए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु एक पत्र दि. 23.12.2016 द्वारा निवेदन किया है जिसके परिप्रेक्ष्य में श्री विजय गौतम ने अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिनाक 12.03.2024 एवं undertaking दिनांक 16.07.2024 इस कार्यालय को प्रस्तुत किया । आवेदन पत्र के अनुसार श्री विजय गौतम की शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट है एवं उनके द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु दिए गए आवेदन पत्र में स्व0 वन्तीलाल के आश्रितों में पत्नी श्रीमती सरोज, श्री सिद्धार्थ (पुत्र) श्रीमती रश्मि (पुत्री), कु0 अर्चना (पुत्री), श्रीमती अंजली (पुत्री), श्री विवेक (पुत्र), श्री विजय गौतम (पुत्र) एवं कु0 मुस्कान (पुत्री) हैं। श्रीमती सरोज के आवेदन पत्र दिनांक 12.03.2024 के अनुसार उन्होने अपनी दो पुत्रियों की शादी कर दी है तथा उनके अन्य दो पुत्रियों एवं तीन पुत्रों की शादी करना बाकी है। प्रार्थिनी के पास पेंशन के अलावा कोई आय का साधन नहीं है। परन्तु आवेदन के साथ शपथ पत्र के अनुसार अचल सम्पत्ति के रूप में 800 वर्गफिट का मकान है। वर्तमान में प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र के अनुसार श्री सिद्धार्थ की रू. 8000/– प्रतिमाह आय है, श्री विवेक गौतम की रू. 8000/– प्रतिमाह आय है। कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार कु0 मुस्कान का नाम कार्यालय रिकार्ड में दर्ज नहीं है और श्रीमती सरोज द्वारा पारिवारिक पेन्शन हेतु दिए गए आश्रितों के विवरण में भी कु0 मुस्कान का नाम दर्ज नहीं है।

यह अवगत कराना है कि श्रीमती सरोज द्वारा प्रस्तुत आवेदन जिसमें उन्होंने अपने पुत्र श्री विजय गौतम को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति दिये जाने हेतु दिनांक 05.01.2021 को आवेदन दिया था, आवेदन पत्र पर अनुकम्पा समिति की बैठक दिनांक 05.02.2021 को गहनतापूर्वक विचार किया गया एवं यह पाया गया कि श्रीमती सरोज का आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं कार्यालय अभिलेखों का सही मिलान नहीं हो पाया। समिति ने उक्त मामले में यह भी पाया कि अभ्यर्थी श्री विजय गौतम की माता जी के द्वारा उनका नाम 'विजय' लिखा गया एवं जन्मतिथि 15.09.1996 स्वयं घोषित किया है। जिसका मिलान कार्यालय अभिलेखों से किया गया, किन्तु कक्षा–10 के मार्कशीट में उनका नाम विजय गौतम एवं जन्मतिथि 15.09.1997 पायी गयी, जिसके कारण अनुकम्पा समिति उक्त मामले में कोई भी निर्णय लेने में स्वयं को असमर्थ पायी । समिति के निर्णय से संस्थान के पत्र दिनांक 23.02.2021 के तहत अवगत करा दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि श्री विजय गौतम उर्फ विजय ने मान्नीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में मूल आवेदन सं. 217/2021 (विजय गौतम उर्फ विजय बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) दायर किया था, जिसे मान्नीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ ने आदेश दिनांक 05.01.2024 द्वारा dispose किया है एवं आदेशित किया है कि श्री विजय गौतम उर्फ विजय का मामला अनुकम्पा समिति के समक्ष 03 माह के अंदर विचार हेतु रखा जाये। हलांकि तत्समय समस्त भर्ती प्रक्रियाओं में रोंक लगी होने के कारण आदेश का अनुपालन किया जाना सम्भव नहीं था।

तदनुसार मान्नीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में मान्नीय न्यायाधिकरण के मूल आवेदन सं. 217/2021 (विजय गौतम उर्फ विजय बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित निर्णय आदेश दिनांक 05.01.2024 को review किए जाने हेतु Review Application No.07 of 2024 (DG CSIR and others versus Vijay Gautam @ Vijay) दायर की गयी है, जिसको मान्नीय Central Administrative Tribunal, Lucknow Bench, Lucknow ने अपने निर्णय व आदेश दिनांक 15.03.2024 द्वारा allow किया है, निर्णय व आदेश दिनांक 15.03.2024 का प्रासंगिक भाग (relevant portion) निम्नानुसार है:–

> ***6. In view of the foregoing, this Review Application is disposed of by modifying the operative part of the order dated 05.01.2024 contained in the Para 7.1 of OA 217 of 2021 which shall now read:***
>
> ***"In view of the facts and circumstances above, the respondents are directed that the submissions made on behalf of the applicant, including the letter dated 12.07.2021 along with the affidavit dated 09.07.2021, shall be taken into consideration by them and the applicant's case placed before CAC for consideration. Based upon such consideration, the respondents shall decide the applicant's case by way of a reasoned and speaking order as per the extant guidelines in the first meeting of the compassionate appointment committee that takes place after the ban is lifted."***

मान्नीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में मान्नीय न्यायाधिकरण के मूल आवेदन सं. 217/2021 (विजय गौतम उर्फ विजय बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित निर्णय आदेश दिनांक 05.01.2024 एवं 15.03.2024 के आलोक में स्व. वन्ती लाल के मामले को 100 प्वाइंट आधारित मेरिट सिस्टम के तहत स्केल में रखकर मेरिट के अनुसार विचार किया जा रहा है।

9 – स्व0 संतराम (भूतपूर्व प्रयोगशाला सहायक) (एस. सी) (आवेदन पंजीयन सं. CA-07) :-

स्व0 संतराम दिनांक 29.09.2000 को हेल्पर के पद पर नियुक्त हुए थे, स्व0 संतराम का आकस्मिक निधन दिनांक **19.01.2024** को लगभग 23 वर्ष की सेवा के उपरान्त हुआ। मृतक के परिवार में आश्रितों में पत्नी श्रीमती अनीता एवं चार पुत्र

ए पुत्री श्री अभिषेक वर्मा (पुत्र), श्री मनीष कुमार वर्मा (पुत्र), श्री राहुल कुमार वर्मा (पुत्र), श्री अविनाश कुमार (पुत्र) एवं कुमारी शालनी वर्मा (पुत्री) है। और श्रीमती सुमित्रा (माता) है दिवंगत की पत्नी के आवेदन पत्र 22.01.2024 एवं श्री राहुल कुमार वर्मा का undertaking दिनांक 15.07.2024 के अनुसार उनके दो पुत्र एवं एक पुत्री अविवाहित हैं। वह स्वंय अक्सर बीमार रहती है, इसलिये वह नौकरी हेतु सक्षम नहीं है। एवं पति की मृत्यु के बाद आय को कोई साधन नहीं है। परन्तु आवेदन के साथ शपथ पत्र के अनुसार अचल सम्पत्ति नहीं है। वर्तमान में प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र के अनुसार श्री अभिषेक वर्मा की रू. 12000/– प्रतिमाह आय है, श्री मनीष कुमार वर्मा की रू. 7000/– प्रतिमाह आय है, श्री राहुल कुमार वर्मा की रू. 8000/– प्रतिमाह आय है। अतः उन्होंने अपने तीसरे पुत्र श्री राहुल कुमार वर्मा जोकि कक्षा 10 वीं पास है, को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है। स्व. संतराम के मामले को 100 प्वाइंट आधारित मेरिट सिस्टम के तहत स्केल में रखकर मेरिट के अनुसार विचार किया जा रहा है।

तत्पश्चात् समिति ने सी.एस.आई.आर. मुख्यालय द्वारा दिनांक 14.11.2022 को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु जारी दिशा निर्देशों के साथ संलग्न 100 प्वाइंट स्केल में मेरिट के आधार पर प्राप्त अंक के अनुसार निम्नलिखित मामले में विविध कार्य कर्मचारी के रूप में पे लेवल–1/रू. 18000–56900 में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान किया :–

विधिवत् गठित अनुकम्पा समिति के द्वारा अपनी संस्तुति को सीएसआईआर के कार्यालय ज्ञापन सं० 5-1(41)/2008-PD दिनांक 14.11.2022 से लागू स्कीम के तहत भी examine किया गया एवं अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त उक्त 05 आवेदनों को विभिन्न पैरामीटर्स के 100-point scale of weightage के अनुसार जॉचा परखा गया। **(PART-C)**

इस सम्बन्ध में विभिन्न पैरामीटर्स के **100–100 प्वाइंट** स्केल ऑफ वेटेज में अधिक अंक अर्जित करने वाले आवेदक श्रीमती निर्मला पाल (मृतक कर्मचारी – स्व. संजय पाल) – **कुल 47** अंक, श्रीमती आभा शर्मा (मृतक कर्मचारी – स्व. अनिल कुमार) – **कुल 43** अंक, श्री राहुल कुमार वर्मा (मृतक कर्मचारी – स्व. संत राम) – **कुल 38** अंक प्राप्त किये हैं।

इसके अतिरिक्त में आवेदन पंजीयन सं. CA-01 श्री अनुराग गौड़ पुत्र स्व. मनोहर लाल एवं आवेदन पंजीय सं. CA-06 श्री विजय गौतम पुत्र स्व0 वन्तीलाल का मामला कोर्ट के आदेशानुसार दुबारा अनुकम्पा समिति के समक्ष रखा गया जिसे विभिन्न पैरामीटर्स के 100-point scale of weightage के अनुसार जॉचा परखा गया। **100–100 प्वाइंट** स्केल ऑफ वेटेज में श्री अनुराग गौड़ ने 29 अंक अर्जित किये एवं श्री विजय गौतम ने 25 अंक अर्जित किये हैं, तदनुसार अनुकम्पा समिति उन्हें अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति न प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की।

जैसा कि उपरोक्त आवेदनों को point based merit अंक मिले है, लेकिन वे अधिक उम्र के हैं। भर्ती नियमों के अनुसार मल्टी टास्किंग स्टाफ (पूर्व ग्रुप–डी नान–टेक्निकल) के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और उसके पास हाई स्कूल या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। भारत सरकार नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में अजा/अजजा को 05 वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 03 वर्ष की छूट दी जाएगी।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदक को संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधानों के तहत सभी प्रकार से पद के लिए पात्र और उपयुक्त होना चाहिए और दिशानिर्देशों के **पैरा 6 ख (क)** में ऊपरी आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि "जहां भी आवश्यक हो ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है"।

प्वाइंट आधारित मेरिट सिस्टम में सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले आवेदकों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रम सं0	आवेदक एवं मृतक कर्मचारी का नाम	प्रथम आवेदन की तिथि के अनुसार आवेदक की आयु	योग्यता/श्रेणी	योग्यता के आधार पर अंक दिए गए	क्या ऊपरी आयु सीमा में छूट की आवश्यकता (हॉ/नहीं)
1.	श्रीमती निर्मला पाल पत्नी स्व0 संजय पाल, भूतपूर्व कनि. सचि. सहा.	50 वर्ष 02 माह 14 दिन DOB:10.09.1972 DOA: 24.11.2022	Post Graduate/ OBC category	47/100	हॉ
2.	श्रीमती आभा शर्मा पत्नी स्व0 अनिल कुमार, भूतपूर्व वरि. तक. अधिकारी	41 वर्ष 05 माह DOB:18.08.1981 DOA: 18.01.2023	Post Graduate/ General category	43/100	हॉ
3.	श्री राहुल कुमार वर्मा पुत्र स्व0 संतराम, भूतपूर्व प्रयोगशाला सहायक	31 वर्ष 11 माह 12 दिन DOB:10.02.1992 DOA: 22.01.2024	High School/ SC category	38/100	हॉ

उपेन्द्र कुमार

अतः समिति सीएसआईआर–एनबीआरआई में विविध कार्य कर्मचारी (पे मैट्रिक्स लेवल–1, वेतनमान रू 18000–56900) के तीन रिक्त पदों पर श्रीमती निर्मला पाल (मृतक कर्मचारी – स्व. संजय पाल) – कुल 47 अंक, श्रीमती आभा शर्मा (मृतक कर्मचारी – स्व. अनिल कुमार) – कुल 43 अंक, श्री राहुल कुमार वर्मा (मृतक कर्मचारी – स्व. संत राम) – कुल 38 अंक, को उपरोक्तानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान करते हुए अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु संस्तुति प्रदान करती है।

यदि निदेशक महोदय उपरोक्त अभियर्थियों के सम्बन्ध में अनुकम्पा समिति द्वारा ऊपरी आयु सीमा में छूट की संस्तुति को स्वीकार करते हैं तो उपरोक्त तीनों अभ्यर्थियों की नियुक्ति विविध कार्य कर्मचारी (एम.टी.एस.) (पे मैट्रिक्स लेवल–1, वेतनमान रू 18000–56900) के 03 रिक्त पदों के विरूद्व की जा सकती है।

1. समिति के सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं डाला गया है
2. विचाराधीन उपरोक्त कर्मचारियों में से कोई भी समिति के अध्यक्ष/सदस्य के निकट सम्बन्धी नहीं है /

बैठक अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

प्रदीप कुमार
प्रशासन नियंत्रक
सीएसआईआर–एनबीआरआई /सदस्य

उपेन्द्र कुमार
नियंत्रक (वित्त एवं लेखा)
सीएसआईआर–एनबीआरआई/सदस्य

डॉ0 पी सी वर्मा
सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट एवं प्रतिनिधि सदस्य (अनुसूचित जाति एवं जनजाति)

Mehar Hasan

डॉ0 (श्रीमती) मेहर हसन आसिफ,
सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट एवं सदस्य
(अल्पसंख्यक एवं महिला प्रतिनिधि)

Manoj

डॉ0 मनोज कुमार
सीनियर साइंटिस्ट/
सदस्य (ओ.बी.सी. प्रतिनिधि)

डॉ. पी. ए. शिर्के,
चीफ साइंटिस्ट
अध्यक्ष

अनुमोदित

अजित 6/8/24
(अजित कुमार शासनी)
निदेशक

PART- C

Relative Merit Points Assessment on a 100 Point-Scale for Compassionate Appointment

Name of Applicant – Shri Anurag Gaur

Name & Designation of deceased employee – Late Shri Manohar Lal (Ex. Laboratory Assistant)

Sl.No.	Parameters	Point allotted to the parameters	Point scored by the candidate
1.	Family Pension (Excluding DR & Allowance)	20	14
2.	Terminal benefits i.e. Lump sum amount received by the family on death of Council employees (i.e. DCR Gratuity, GPF/Lump sum amount under NPS, CGEGIS, Leave encashment etc.	10	01
3.	Annual Income of earning members and income from property	10	10
4.	Immovable property	10	02
5.	Leftover service of the deceased Government Employee	15	02
6.	Number of unmarried daughters	10	00
7.	Number of dependent minor children	05	00
8.	If wife of the deceased Council official has applied for compassionate appointment for herself	10	00
9.	If one or more person(s) amongst the dependent family members is disable (with % of disability)	10	00
	TOTAL	**100**	29

Pradip Kumar
(Controller of Administration)
(Member)

उपेन्द्र कुमार
Upendra Kumar
Controller (Finance & Accounts)
(Member)

Dr. P.C. Verma
(Senior Principal Scientist)
(Member)

Mehar Hasan Asif
Dr. Mehar Hasan Asif
(Senior Principal Scientist)
(Member)

Dr. Manoj Kumar
(Senior Scientist)
(Member)

Dr. P.A. Shirke
(Chief Scientist)
(Chairman)

PART- C

Relative Merit Points Assessment On A 100 Point-Scale for Compassionate Appointment

Name of Applicant – Smt. Nirmala Pal

Name & Designation of deceased employee – Late Shri Sanjay Pal (Ex. Junior Secretariat Assistant)

Sl. No.	Parameters	Point allotted to the parameters	Point scored by the candidate
1.	Family Pension (Excluding DR & Allowance)	20	14
2.	Terminal benefits i.e. Lump sum amount received by the family on death of Council employees (i.e. DCR Gratuity, GPF/Lump sum amount under NPS, CGEGIS, Leave encashment etc.	10	05
3.	Annual Income of earning members and income from property	10	10
4.	Immovable property	10	02
5.	Leftover service of the deceased Government Employee	15	06
6.	Number of unmarried daughters	10	00
7.	Number of dependent minor children	05	00
8.	If wife of the deceased Council official has applied for compassionate appointment for herself	10	10
9.	If one or more person(s) amongst the dependent family members is disable (with % of disability)	10	00
	TOTAL	**100**	47

Pradip Kumar
(Controller of Administration)
(Member)

Upendra Kumar
Controller (Finance & Accounts)
(Member)

Dr. P.C. Verma
(Senior Principal Scientist)
(Member)

Dr. Mehar Hasan Asif
(Senior Principal Scientist)
(Member)

Dr. Manoj Kumar
(Senior Scientist)
(Member)

Dr. P.A. Shirke
(Chief Scientist)
(Chairman)

PART- C

Relative Merit Points Assessment On A 100 Point-Scale for Compassionate Appointment

Name of Applicant – Smt. Abha Sharma

Name & Designation of deceased employee – Late Shri Anil Kumar (Ex. Sr. Technical Officer)

Sl.No.	Parameters	Point allotted to the parameters	Point scored by the candidate
1.	Family Pension (Excluding DR & Allowance)	20	06
2.	Terminal benefits i.e. Lump sum amount received by the family on death of Council employees (i.e. DCR Gratuity, GPF/Lump sum amount under NPS, CGEGIS, Leave encashment etc.	10	01
3.	Annual Income of earning members and income from property	10	10
4.	Immovable property	10	06
5.	Leftover service of the deceased Government Employee	15	07
6.	Number of unmarried daughters	10	00
7.	Number of dependent minor children	05	03
8.	If wife of the deceased Council official has applied for compassionate appointment for herself	10	10
9.	If one or more person(s) amongst the dependent family members is disable (with % of disability)	10	00
	TOTAL	100	43

Pradip Kumar
(Controller of Administration)
(Member)

Upendra Kumar
Controller (Finance & Accounts)
(Member)

Dr. P.C. Verma
(Senior Principal Scientist)
(Member)

Dr. Mehar Hasan Asif
(Senior Principal Scientist)
(Member)

Dr. Manoj Kumar
(Senior Scientist)
(Member)

Dr. P.A. Shirke
(Chief Scientist)
(Chairman)

PART- C

Relative Merit Points Assessment On A 100 Point-Scale for Compassionate Appointment

Name of Applicant – Shri Rahul Kumar Verma

Name & Designation of deceased employee – Late Shri Sant Ram (Ex. Laboratory Assistant)

Sl.No.	Parameters	Point allotted to the parameters	Point scored by the candidate
1.	Family Pension (Excluding DR & Allowance)	20	12
2.	Terminal benefits i.e. Lump sum amount received by the family on death of Council employees (i.e. DCR Gratuity, GPF/Lump sum amount under NPS, CGEGIS, Leave encashment etc.	10	04
3.	Annual Income of earning members and income from property	10	06
4.	Immovable property	10	10
5.	Leftover service of the deceased Government Employee	15	01
6.	Number of unmarried daughters	10	05
7.	Number of dependent minor children	05	00
8.	If wife of the deceased Council official has applied for compassionate appointment for herself	10	00
9.	If one or more person(s) amongst the dependent family members is disable (with % of disability)	10	00
	TOTAL	100	38

Pradip Kumar
(Controller of Administration)
(Member)

Upendra Kumar
Controller (Finance & Accounts)
(Member)

Dr. P.C. Verma
(Senior Principal Scientist)
(Member)

Dr. Mehar Hasan Asif
(Senior Principal Scientist)
(Member)

Dr. Manoj Kumar
(Senior Scientist)
(Member)

Dr. P.A. Shirke
(Chief Scientist)
(Chairman)

Annexure-II to CSIR Letter No.5-1(41)/2008-PD dated 14.11.2022

PART- C

Relative Merit Points Assessment On A 100 Point-Scale for Compassionate Appointment

Name of Applicant – Shri Vijay Gautam

Name & Designation of deceased employee – Late Shri Wanti Lal (Ex. Senior Technician-2)

Sl.No.	Parameters	Point allotted to the parameters	Point scored by the candidate
1.	Family Pension (Excluding DR & Allowance)	20	06
2.	Terminal benefits i.e. Lump sum amount received by the family on death of Council employees (i.e. DCR Gratuity, GPF/Lump sum amount under NPS, CGEGIS, Leave encashment etc.	10	01
3.	Annual Income of earning members and income from property	10	08
4.	Immovable property	10	02
5.	Leftover service of the deceased Government Employee	15	03
6.	Number of unmarried daughters	10	05
7.	Number of dependent minor children	05	00
8.	If wife of the deceased Council official has applied for compassionate appointment for herself	10	00
9.	If one or more person(s) amongst the dependent family members is disable (with % of disability)	10	00
	TOTAL	**100**	25

Pradip Kumar
(Controller of Administration)
(Member)

Upendra Kumar
Controller (Finance & Accounts)
(Member)

Dr. P.C. Verma
(Senior Principal Scientist)
(Member)

Dr. Mehar Hasan Asif
(Senior Principal Scientist)
(Member)

Dr. Manoj Kumar
(Senior Scientist)
(Member)

Dr. P.A. Shirke
(Chief Scientist)
(Chairman)